वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) अहमदाबाद इन्जीनियरिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन से एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें लघु क्षेत्र में निर्मित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ मद 68 के अधीन आने वाले माल के संबंध में सम्पूर्ण छूट सीमा को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में प्राप्त हुए सभी अभ्यावदनों पर विचार किये जाने के बाद, छूट सीमा को नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया गया। तथापि, किसी एक वित्त वर्ष में 20 लाख रुपये से अधिक परन्तु 30 लाख रुपये से अनधिक के मूल्य की निकासियों के संबंध में 8 मई, 1985 से एक रियायती शुल्क दर लागू की गयी है, जो अन्यथा देय शुल्क दर का 25 प्रतिशत है।

आयरन एंड स्टील स्क्रैप एसोसिएशन आफ इंडिया से अभ्यावेदन

2387. **श्री मंजा इर्शादबेग** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आयरन एण्ड स्टील स्क्रैप एसोसिएशन आफ इण्डिया से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ख) उस पर क्या कार्यवाही की गयी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) शिप-ब्रेकिंग कार्यकलापों के कारण प्राप्त होने वाली पुनः बेल्लित-योग्य स्क्रैप सामग्री के संबंध में उत्पादन शुल्क देनदारी के मुद्दे पर आयरन एण्ड स्टील स्क्रैप एसोसिएशन आफ इण्डिया, बम्बई से एक अभ्यावेदन सरकार को जनवरी, 1985 में प्राप्त हुआ था।

(ख) मामले की जांच की गयी है, परन्तु इसे मामल में उत्पादन-शुल्क से राहत दिये जाने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना सभव नहीं पाया गया है।

टैरिफ मद सं० 68-कक के सबध में मोरवी चैम्बर आफ कामर्स से आवेदनपत्र

2388. **श्री मंजा इर्शादबेग** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टैरिफ मद सं० 68-कक के संबंध म० मोरवी चैम्बर आफ कामर्स से कोई आवेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकार को मैसर्स मोरवी चम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज से टरिफ मद 68 के संबंध में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। (केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ में टरिफ मद 68--कक नाम का कोई टैरिफ मद नहीं है)।

(ख) मैसर्स मोरवी चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने लघु क्षेत्र में उत्पादित उत्पादन शुल्क टैरिफ मद 68 के अधीन आने वाले माल के संबंध में दिनांक 17-3-85 की अधिसूचना सं० 77/85-के० उ० शु० के अधीन उपबन्धित पूर्ण छूट-सीमा को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये तक करने का अनुरोध किया है।

सरत कारकों को ध्यान में रखते हुए, उत्पादन शुल्क टैरिफ को टैरिफ मद 68 के अधीन आने वाले माल के मामले में 20 लाख रुपये से अधिक परन्तु 30 लाख रुपये से अधिक की निकासियों के संबंध में 8 मई, 1985 से शुल्क की रियायती दर की व्यवस्था की गयी है, जो अन्यथा देय शुल्क-दर का 25 प्रतिशत है।